रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1987/अग्रहायण 11, 1909
No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 1987/AGRAHAYANA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LIBRARY 21.3.88

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1987

संकल्प

स. 9/2/87-टी.पी.सी.—वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 8 सहकारी अनुसंधान संघ हैं जो वस्त्रों, ऊनी एवं जूट उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं। वस्त्रों, ऊनी एवं जूट उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में इन अनुसंधान संघों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने ऐसा विनिश्चय किया है कि एक ऐसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाए जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। यह समिति वस्त्र विश्व में हाल में हुए विकास को देखते हुए इस उद्योग को अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन में मदद हेतु बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के उद्देश्य से इन संघों के कार्य चालन की समीक्षा करेगी और इन संस्थानों के लिए दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजनाओं का सुझाव देगी।

1. प्रो. एन.एम. स्वामी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली। — अध्यक्ष
2. श्री अरविन्द लालभाई, भूतपूर्व अध्यक्ष, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद। — सदस्य
3. श्री डी. जयवर्धन वेलु, प्रबंध निदेशक, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि., कोयम्बतूर — सदस्य
4. श्री सुधीर ठाकरसे, अध्यक्ष, बम्बई मिल ओनर्स एसोसियेशन, बम्बई। — सदस्य
5. प्रो. ई.एच. धारूवाला, सलाहकार, बम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ, बम्बई। — सदस्य
6. श्री के. श्रीनिवासन, भूतपूर्व निदेशक, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ। — सदस्य
7. श्री जी. शिवरामन, अध्यक्ष, भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता — सदस्य
8. डा. आर.के. अयंगर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। — सदस्य
9. श्री अरुण कुमार, वस्त्र आयुक्त — सदस्य-सचिव

7. समिति के विचारणीय विषय निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

(क) वस्त्र अनुसंधान संघों अर्थात , ए.टी.आई.आर.ए., एस.आई.टी.आर.ए., बी.आई.टी.आर.ए., आई.जे.आई.आर.ए., एन.आई.टी.आर.ए., एस.ए.एस.एम.आई.आर.ए., डब्ल्यू आर.ए. और एम.ए.एन.टी.आर.ए. द्वारा वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य की समीक्षा करना;

(ख) वस्त्र उद्योग में अनुसंधान एवं विकास कार्य का क्षेत्र गहन बनाने और उसे गति प्रदान करने तथा उसे उन वस्त्र औद्योगिक एककों के लिए और अधिक सम्बद्ध बनाने के लिए जिनके लिये ये क्रियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं, उपायों का सुझाव देना;

(ग) ऐसे क्षेत्रों को अभिज्ञात करना जिनमें इस समय अनुसंधान एवं विकास की कमी अथवा अपर्याप्तता हो और कमियों में सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करना;

(घ) सरकार द्वारा हाल में आरंभ की गई बहुरेशा नीति एवं अन्तः क्षेत्रीय लोचशीलता लागू करने के उद्देश्य से इन विभिन्न अनुसंधान संघों में बेहतर अन्तःसंस्थागत संबंध स्थापित करने संबंधी संभाव्यता की जांच करना;

(ङ) दूसरी ओर, इन अनुसंधान संघों और गैर-सरकारी क्षेत्र के इन हाउस आर एण्ड डी ; संगठनों में संबंध स्थापित करने हेतु कार्यक्षेत्र की जांच करना;

(च) इन उद्देश्यों के अनुरूप सहायक सुविधाएं सृजित करने हेतु उपायों की सिफारिश करना;

(छ) ऐसे भागौपायों का सुझाव देना जिनसे कुछ आर. एण्ड डी. क्रियाकलापों को लाभार्जक वाणिज्यिक उद्यमों में उपयोग में लाया जा सके तथा उसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में आर. एण्ड डी. हेतु वित्त वृद्धि में सहायता मिल सके।

3. समिति उपरोक्त विचारणीय विषयों से संबंधित किसी अन्य पहलू पर यथावश्यकतानुसार विचार कर सकती है।

4. समिति अपनी कार्य-पद्धति स्वयं विनिमित करेगी और उसे अन्य सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह किसी भी समय आवश्यक समझती हो।

5. समिति अपने विचारणीय विषयों के किन्हीं विशिष्ट पहलुओं के विस्तृत अध्ययन में सहायता हेतु एक अथवा अधिक कार्य समूह नियुक्त कर सकेगी।

6. सरकारी अधिकारियों के संबंध में उनके विभाग उनके टी.ए. तथा डी.ए. संबंधी व्यय, यदि कोई हो, का भार वहन करेंगे जबकि गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा. सं. एफ. 6(26)-ई-4/59- दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार टी.ए. तथा डी.ए. के हकदार होंगे।

7. समिति से अपनी रिपोर्ट 1 जून, 1988 तक सरकार को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

चरन दास चीमा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 2nd December, 1987

RESOLUTION

No. 9/2/87-TPC.—The Ministry of Textiles has under its administrative control 8 Cooperative Research Associations doing research in different fields connected with textiles, woollen and jute industries. In view of the vital role being played by these research associations in the growth and development of the textile, woollen and jute industries, the Government of India, Ministry of Textiles, have decided to set up a High Power Committee consisting of the following members to review their working and suggest long term perspective plans for these institutions with a view to equipping them better to help the industry upgrade their technology in the light of the recent developments in the world of textiles:—

1. Prof. N. M. Swani, Director, Indian Institute of Technology, New Delhi. —Chairman

2. Shri Arvind Lalbhai, formerly Chairman, Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad. —Member

3. Sri D. Jayavarthanavelu, Managing Director, Lakshmi Machine Works Ltd. Coimbatore. —Member

4. Shri Sudhir Thakersey, Chairman, Bombay Mill Owners' Association, Bombay. —Member

5. Prof. E. H. Dharuwalla, Adviser, Bombay Indian Research Association, Bombay. —Member

6. Sri K. Sreenivasan, Ex-Director, South Indian Textile Research Association. —Member

7. Sri G. Sivaraman, Chairman, Indian Jute Industry's Research Association, Calcutta —Member

8. Dr. R. K. Iyengar, Council of Scentific and Industrial Research, New Delhi. —Member

9. Sri Arun Kumar, Textile Commissioner. —Member-Secretary

2. Terms of reference of the Committee will be as follows:

(a) To review the research and development work being done in the field of Textile Industry by the Textile Research Associations, namely—

ATIRA, SITRA, BITRA, IJIRA, NITRA, SASMIRA, DRA and MANTRA;

(b) To suggest measures to intensify the scope of research and development work in the textile industry and to accelerate its pace and make it more closely linked to the textile industrial units for whose benefits these activities are being undertaken;

(c) To identify areas in which research and development is now found to be lacking or inadequate and to recommended measures to make good the deficiencies;

(d) To examine the possibility of establishing greater interinstitutional linkages among these various Research Associations with a view to implementing the multi-fibre policy and the intersectoral flexibility recently introduced by the Government ;

(e) To examine the scope for establishing linkages between these Research Associations and the private sector in-house R & D Organisations on the other;

(f) To recommend steps to build up supporting facilities commensurate with these objectives ;

(g) To suggest ways and means by which some of the R & D activities can be channeled into profit yielding commercial ventures and thereby help in augmenting finances for R & D in the field.

3. The committee may, if necessary, consider any other aspect related to the above terms of reference.

4. The committee will regulate its own procedure of working and will have power to co-opt other members whom they find it necessary at any stage.

5. Th Committee may appoint one or more Working Groups to assist in detailed studies of any specific aspects of their terms of reference.

6. The expenses on T.A. and D.A., if any, will be borne by the respective department in respect of Government Officials, whereas non-officials will be entitled to claim T.A. and D.A. as per O.M. No. F. 6(25)-E.IV/59, dated 5th September, 1960, of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), as amended from time to time.

7. The Committee would be required to submit its Report to the Government by 1st June, 1988.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. D. CHEEMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987